संख्या:-57 /2018/ 619 / दो-2-2018-4/2(28)/2012

प्रेषक,

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
बरेली विकास प्राधिकरण,
बरेली।

नियुक्ति अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2018

विषय :-श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, पी0सी0एस0, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पद की वाहय सेवा से संबंधित सेवाशर्ते।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग दो से चार के मूल नियम 110 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, पी0सी0एस0 की सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पद पर नियुक्ति के लिए निम्न शर्तो के अधीन वाहय सेवा पर स्थानान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- उपरोक्त अधिकारी के वेतन तथा भत्तों का सम्पूर्ण खर्च बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली द्वारा वहन किया जायेगा।

2- **वाहय सेवा की अवधि :** वाहय सेवा की अवधि का प्रारम्भ पैतृक विभाग में सरकारी पद के कार्यभार से कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से होगा और समाप्ति पैतृक विभाग में सरकारी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि होगी। वाहय सेवा की अवधि 03 वर्ष से अनधिक होगी।

3- **वेतन :-** वाहय सेवा की अवधि में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, को यदि वह उसी स्टेशन पर रहते हैं जहॉ उनकी तैनाती थी, तो वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-जी-1-142/दस-2011/204/1999, दिनांक 16 मई, 2011 के अनुसार उन्हें वेतन का 05 प्रतिशत अधिकतम रू0-1500/- प्रति माह तथा स्टेशन के बाहर वाहय सेवापर तैनाती होने की स्थिति में मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम रू0-3000/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होगा। यदि प्रश्नगत प्रतिनियुक्ति का पद सम्बन्धित अधिकारी के और संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती हेतु आगणित किया जाता है या प्रतिनियुक्ति पर तैनाती सम्बन्धित अधिकारियों के स्वयं के अनुरोध पर है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।

4- **मंहगाई भत्ता -** वाहय सेवा की अवधि में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को मंहगाई भत्ता राज्य सरकार की दरों पर अनुमन्य होगा जिसका आगणन मूल वेतन पर ही किया जायेगा।

5- **नगर प्रतिकर भत्ता तथा मकान किराया भत्ता :-** इन भत्तों का विनियन वाहय सेवायोजक के नियमों के अधीन किया जायेगा परन्तु :-

(क) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को उ0प्र0 शासन द्वारा आवास आवंटन की दशा में उनके दिनांक 01 अगस्त, 1998 से लागू फलैट रेन्ट की दो गुनी दर पर किराया लिया जायेगा जो आवंटी स्वयं प्रतिमाह जमा करेंगे और इस किराये का आधा वह श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह से वहन करेंगे तथा शेष आधा वह अपने वाहय सेवायोजक से प्राप्त करेंगे।

(ख) वाहय सेवायोजक द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को बिना किराये के मकान की सुविधा नहीं दी जायेगी। यदि किन्हीं कारणों से वाहय सेवायोजक श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को उक्त सुविधा देना चाहते हैं तो वह अपने प्रस्ताव शासन को भेजेगे जिस पर वित्त विभाग के परामर्श से निर्णय लिया जायेगा।

6- **कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन :-** कार्यभार ग्रहण करने का समय और कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन यदि कोई हो, का विनियमन, वाहय सेवा पर स्थानान्तरण और उसके प्रत्यावर्तन दोनों ही के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन किया जायेगा और इसका भुगतान वाहय सेवायोजक द्वारा किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- **यात्रा भत्ता :-** वाह्य सेवा की अवधि में एक वाह्य सेवायोजक के अधीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने तथा उससे प्रत्यावर्तन के समय की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते का विनियमन उनके विकल्प के अनुसार या तो उनके मूल विभाग अथवा वाह्य सेवायोजक के नियमों के अधीन होगा और इसका भुगतान वाह्य सेवायोजक द्वारा किया जायेगा।

8- **अवकाश और पेंशन:-** वाह्य सेवा की अवधि में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह राज्य सरकार के अवकाश और पेंशन संबंधी नियमों द्वारा ही नियंत्रित होते रहेंगे। वाह्य सेवा में अथवा उसके द्वारा हुई विकलांगता के संबंध में वाह्य सेवायोजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिए देनदार होगा, चाहे ऐसी विकलांगता का पता वाह्य सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यों न लगे।

9- **अवकाश वेतन तथा पेंशन संबंधी अंशदान :-** यदि संस्था आवर्तक व्ययों का वहन करने के लिए पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तक प्रदेश शासन से प्राप्त होने वाले अनुदानपर निर्भर है तो वाह्य सेवा पर भेजे गये सरकारीअधिकारी के वाह्य सेवा से सम्बन्धित पेंशनरी अंशदान तथा अवकाश वेतन अंशदान से छूट इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की जायेगी कि वाह्य सेवापर गये सरकारी अधिकारी द्वारा उपयोग किये गये अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाश वेतन वाह्य सेवायोजक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

10- **भविष्य निधि :-** वाह्य सेवायोजक को श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह के वेतन से भविष्य निधि का अभिदान काट लेना चाहिए और उसे उनके भविष्य निधि लेखे में जमा कर देना चाहिए। अपनी वाह्य सेवा की अवधि में श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह राज्य सरकार के भविष्य निधि नियमों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

11- **चैकित्सिक सुविधायें :-** वाह्य सेवा में रहते हुए श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को चैकित्सिक उपचार के संबंध में वे विशेष सुविधायें प्राप्त होती रहेगी जो राज्य सरकार के अधीन प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार निम्नतर न होगी। किन्तु श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को वाह्य सेवायोजक द्वारा चैकित्सिक भत्ता देय न होगा।

12- **असाधारण पेंशन :-** श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह को अथवा उनके परिवार द्वारा वाह्य सेवा पर रहते हुए उनकी विकलांगता अथवा मृत्यु के संबंध में किया गया कोई दावा उ0प्र0 सिविल सेवायें (असाधारण पेंशन) नियमावली (यू0पी0 सिविल सर्विसेज) (एक्सट्रा आर्डिनरी पेंशन रूल्स) के अनुसार निर्णीत किया जायेगा और पंच निर्णय के पूरे मूल्य का दायित्व वाह्य सेवायोजक का ही होगा।

13- **अवकाश वेतन तथा अवकाश अवधि या अवकाश नगदीकरण में प्रतिकर भत्ता :-** वाह्य सेवा पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपयोग किये गये अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाशवेतन का भुगतान वाह्य सेवायोजक द्वारा किया जायेगा परन्तु जिस संस्था में सरकारी सेवक वाह्य सेवा पर तैनात हैं उसके द्वारा यदि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते अवकाश वेतन भुगतान की असमर्थता व्यक्त की जाती है तो अवकाश वेतन का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जायेगा।

वाह्य सेवा की अवधि में श्री सिंह को, वही वेतन/भत्ते प्राप्त होंगे जो उन्हें पैतृक विभाग में रहते हुए प्राप्त होते।

14- **सामूहिक बीमा :-** इस योजना के निमित्त वाह्य सेवायोजक द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि में अधिकारी के वेतन से रू0-400 प्रतिमाह की दर से अभिदान की कटौती निरन्तर की जाती रहेगी और उसे लेखा शीर्षक 8011-बीमा पेंशन निधि'0101-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोडकर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि तथा "02-उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना-बचत निधि-0201-पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोडकर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत प्राप्ति पक्ष के कोषागार में जमा किया जायेगा। उक्त 400 रूपये की धनराशि में से 280 रूपये बचत निधि में तथा 120 रूपये बीमा निधि में जमा होंगे। यदि शासन समय-समय पर इस दर को संशोधित करता हो तो अधिकारी की समय समय पर संशोधित दरों के अनुसार अभिदान देना होगा। इस प्रकार से जमा की गयी धनराशि का पूर्ण विवरण जैसे कर्मचारी का नाम, पद, विभाग का नाम, ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफट संख्या तथा दिनांक और बैंक का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नाम/ट्रेजरी का नाम, वाहय सेवायोजक द्वारा नियुक्ति अनु0-2 को तथा निदेशक, सामूहिक बीमा योजना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को भेजना होगा।

15- **<u>अन्य वित्तीय सुविधायें :-</u>** यदि उपरोक्त अधिकारी को वाहय सेवायोजक द्वारा उक्त शर्तो के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा दिया जाना प्रस्तावित हो, तो यह शासन की सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा-।। जी0ई0-1 अनुभाग, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
3. वित्त सामान्य अनुभाग-1
4. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, पी0सी0एस0, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।